

SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998
IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC, Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No. 31/2018

Complaint or report made on

Name and address of the Complainant

श्री. अ. गुप्ता गामन पु सालनपुर
पु. अ. गुप्ता गामन पु सालनपुर
श्री. अ. गुप्ता गामन पु सालनपुर
श्री. अ. गुप्ता गामन पु सालनपुर
श्री. अ. गुप्ता गामन पु सालनपुर

Name, parentage, caste and address of accused

1. श्री. अ. गुप्ता 3/0 आगारा अदोरीया उत 23 साल 1 द
दुर्गमन चौकहा

The offence, complaint of, and date of, its alleged commission

आप पर आरोप है कि दिनांक 23/1/18 मुकाम
अदोरीया दोल सालनपुर पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने
आधिपत्य में 30 गैलन लीटर/पाव/बोटल क्वार्टर शराब विक्रय/परिवहन हेतु रखी।
ऐसा करके आपने आबकारी अधि 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय
अपराध कारित किया।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है। नून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।

अपराध स्वीकार है।

विनयपूर्वक

श्री. अ. गुप्ता
पु. अ. गुप्ता गामन पु सालनपुर
श्री. अ. गुप्ता गामन पु सालनपुर
श्री. अ. गुप्ता गामन पु सालनपुर

श्री. अ. गुप्ता
पु. अ. गुप्ता गामन पु सालनपुर
श्री. अ. गुप्ता गामन पु सालनपुर
श्री. अ. गुप्ता गामन पु सालनपुर

// निर्णय //

(आज दिनांक 09/02/18 को घोषित)

01. अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं है।
03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायालय उठने तक की अवधि तक की सजा एवं रुपये 1000/शब्दों में एक हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर 7 दिवस का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।
04. जप्तशुदा सम्पत्ति 30 लीटर/पाव/बोतल 5 वा 10 शराब मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार नष्ट की जावे। अपील न होने पर मानव अपील न्यायालय के आदेश का

09-2-2018